

पत्रांक-.....३५२५...../आ०प्र०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/अररिया एवं पूर्णियाँ ।

पटना-15, दिनांक- 23/7/2018

विषय: कोशी बाढ़ में लापता व्यक्तियों के सत्यापन के संबंध में ।

महाशय,

कोशी आपदा के दौरान जीविका परियोजना के द्वारा बेवसाईट प्रारंभ किया गया था (www.vikasdwar.com/floods-missing) और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (NGO's) द्वारा उक्त बेवसाईट पर ऐसे व्यक्तियों का नाम दर्ज करना था, जिसके सम्बन्ध में यह बताया गया है कि वह लापता है । इस व्यवस्था के अनुसार NGO's द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिनके लापता होने की सूचना थी, का नाम उक्त बेवसाईट पर दर्ज किया गया । इस क्रम में ऐसे व्यक्ति का नाम भी बेवसाईट पर दर्ज हो गया, जो किसी दूसरे कैंप/स्थल पर शरण लिए हुए थे । तदनुसार इस डूपलिकेशन को देखते हुए यह बेहतर समझा गया कि लापता व्यक्तियों के संबंध में स्थापित व्यवस्था जिसके अनुसार थाना/ आउट पोस्ट में लापता व्यक्तियों का रिपोर्ट दर्ज था, को ही आधार मानी जाए । परन्तु यह भी आवश्यक है कि जीविका के बेवसाईट पर NGO's द्वारा दर्ज किये गये लापता बताये गये व्यक्तियों का भी सत्यापन कर लिया जाए । अब चूँकि कैंप से लोग अपने घर वापस आ गए हैं, अतः अब यह सत्यापन संभव है ।

कृपया बेवसाईट पर दर्ज सूची का सत्यापन कराकर 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन भेज दिया जाए ।

विश्वासभाजन

(आर० के० सिंह)

प्रधान सचिव